

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चेन्नै का कार्यालय
“लेखापरीक्षा भवन”, 361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018

सं. प्रनिलेप(के)/दावा-I/युनिट IV/2020-21/01

दि. 08.04.2021

परिपत्र 02

केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियम, 1988 –प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति पर स्पष्टीकरण से संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली का. ज्ञा. सं. 31011/3/2025-स्था. (ए-IV) दिनांक 4 फरवरी 2021 संदर्भ के लिए परिचालित किया जाता है।

(यह उपनिदेशक/प्रशासन के दिनांक 07-04-2021 के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।)

लक्ष्मी शंकर

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/दावा

प्रति,

सभी अनुभाग और फिल्ड पार्टि
इडीपी (वेबसाइट में अपलोड करने हेतु)
सूचना पट्ट
हिंदी अनुभाग